# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 93/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 नाथु पिता मोतीलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 भंवर पिता मोतीलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 मंजू पुत्री मोतीलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 महावीर पिता मोतीलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 रामेश्वर प्रसाद पिता रामनारायण ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 शान्ति पत्नि स्व.मोतीलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 सरोज पुत्री मोतीलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

........ प्रार्थीगण

बनाम

1 कैलाश पिता भैरूपुरी गुसाई उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 छोटू लाल पिता भैरूपुरी गुसाई उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 देबीलाल पिता भैरूपुरी गुसाई उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 प्रहलाद पिता भैरूपुरी गुसाई उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 सीता पुत्री भैरूपुरी गुसाई उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन**

उपस्थित :::– श्री सुनिल कुमार शर्मा
श्री हितेश शर्मा–––अधिवक्ता प्रार्थीगण
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
अनुपस्थित– श्री विजय पाराशर ––––––अधिवक्ता अप्रार्थीगण

## निर्णय

दिनांक 26.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 25.09.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या [illegible] के आराजी [illegible] 440, 441, 445 प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण [illegible] स्वयं [illegible] खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने [illegible]न्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना प[illegible] से अप्रार्थीगण की सह[illegible] भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीग[illegible] द्वारा रूकावट उत्पन्न [illegible]ने से प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 442 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested

सही ... कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फुलियाकलां (भील.)

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु विपक्षीगण की खातेदारी/सहखातेदारी आराजी संख्या 442 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 25.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा दिनांक 09.10.2020 को वकालत नामा प्रस्तुत कर, जवाब प्रार्थनापत्र आईन्दा प्रस्तुति का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्राथीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया दिनांक 26.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01 से 05 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थी पक्ष ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में भू.अ.निरीक्षक धनोप द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु *ग्राम सांगरिया प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित आराजी संख्या 442 रकबा 0.95 में से 0.0484 हैक्ट. (484 वर्गमीटर) (106 मीटर गुणा 4.57 मीटर)* सुगमतम एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी 01 से 05 को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भू.अ.निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को विपक्षीगण की खातेदारी/सहखातेदारी आराजी संख्या 442 में से 0.0484 हैक्टे. (484 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगण को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भू.अ. निरीक्षक धनोप द्वारा *ग्राम सांगरिया. प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित आराजी संख्या 442 रकबा 0.95 में से 0.0484 हैक्ट. (484 वर्गमीटर) (106 मीटर गुणा 4.57 मीटर)* निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके *ग्राम सांगरिया प.ह.क्षेत्र सांगरिया स्थित आराजी संख्या 442 रकबा 0.95 में से 0.0484 हैक्ट. (484 वर्गमीटर) (106 मीटर गुणा 4.57 मीटर)* भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(भील.)

नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तव ही प्रभावी होगा जव प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 (आराजी संख्या 442 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकवा 0.0484 हैक्टेयर मालियत राशि की **तिगुनी राशि 76,518/–** रूपये (0.0484 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
(जिला भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भील.)

प्रतिलिपि–

1– तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested